कार्यालय, अनुविमागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग उपसंभाग कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.)

ज्ञापन क्र. 2378 /शि./2023-24

कवर्धा दिनांक 12 12 2023

प्रति.

प्राचार्य श्री रामकृष्ण पब्लिक स्कूल कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.)

विशय:-

भवन सुदृढ़ता प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत्।

संदर्भ:-

आपका पत्र क्र. / Ref No.RPS-203/Bulding/KWD/2023 कवर्धा दिनांक 21 / 11 / 2023

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित निर्मित भवन का सुदृढ़ता प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु अनुरोध किया गया था। भवन का आज दिनांक 06/12/2023 को उपअभियंता श्रीमती दुर्गाराय द्वारा निरीक्षण किया गया निरीक्षण उपरान्त भवन की स्थित संतोष जनक पाई गई। अतः आज दिनांक से 01 वर्ष के लिए भवन का सुदृढ़ता प्रमाण पत्र नवीनीकरण जारी किया जाता है।

सहपत्र:- प्रमाण पत्र।

अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग कवर्धा

पृ.क्र. /

/शि./2023-24

कवर्धा दिनांक

प्रतिलिपी:-

1 श्रीमती दुर्गाराय उपअभियंता मुख्यालय उपखण्ड क्रमांक 01 कवर्धा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

सहपत्र:- प्रमाण पत्र।

अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग कवर्धा

BUILDINGSAFETYCERTIFICATE

No. 2378

Dated: 12:12:2023

Certified that the existing building SHRI RAMKRISHNA PUBLIC SCHOOL, BILASPUR
ROAD, SINGHANPURI KAWARDHA (C.G.) comprised of NIL basement (s) and G+2
(upper floors) owned/accpied by SHRI RAMKRISHNA PUBLIC SCHOOL have complied
with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and
verified by the officers concerned of PUBLIC WORK DEPARTMENT KAWARDHA on
06.12.2023 (date of inspection) in the presence of
building/premises is fit for occupancy upto classes (X/XII) with effect from 05.12.2024 for a period of I(one) years in accordance with rule and subject to compliance of the specific
conditions as appended.

1.

2.

3.

4.

Issued on 06.12.2023 at Kawaradha

* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal:

Name:

Designation: Assistant Engineer.

PWD, Divn. No. I, Kawardha

Name & Address of Department/ Office:

(Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only)

Note: This certificate should be signed/issued by Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only